



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग
कर्णप्रयाग

Phone/Fax- 01363-244204

Email- eepdpwdkpg@gmail.com

पत्रांक 537 / 10 अक्टूबर 2023
सेवा में,

दिनांक 31/03/2023

प्रभागीय वनाधिकारी
बद्रीनाथ वन प्रभाग
गोपेश्वर।

विषय:- जनपद चमोली में विधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयाग के अन्तर्गत सिमली-चूलाकोट मोटर मार्ग के किमी. 5.00 से स्वर्का बैण्ड हरिजन बस्ती राजस्व ग्राम कलाकोट होते हुए स्वीकृत मार्ग बनियास तक नव निर्माण कार्य।

सन्दर्भ:- आपका पत्रांक 1303/12-1 दिनांक, गोपेश्वर सितम्बर 09/2022
महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में लगायी गयी आपत्तियों का निराकरण निम्न प्रकार है:-

क्र.सं.	आपत्तियाँ	निराकरण
1	ऑनलाईन पार्ट-1 के पैरा A-1 Genrel Details के पैरा (X) में परियोजना के हस्तान्तरण का वर्ष शून्य अंकित है।	निराकरण कर दिया गया है।
2	ऑनलाईन पार्ट 1 के B2 Details of forest land proposed to be diverted के पैरा B 24 में परियोजना का घटकवार विवरण अधूरा भरा गया है। जबकि प्रस्ताव में मक डिस्पोजल हेतु स्थल नाप भूमि में लिया गया है, परन्तु आप द्वारा मक डिस्पोजल हेतु लिये गये भूमि का विवरण ऑनलाईन नहीं भरा गया है।	ऑनलाईन भर दिया गया है।
3	प्रस्ताव में विवरण सूची व प्रपत्र वन भूमि हस्तान्तरण मार्ग दर्शिका 2014 के अनुसार प्रस्ताव में संलग्न नहीं है। वनभूमि हस्तान्तरण मार्ग दर्शिका 2014 के अनुसार विषय सूचीवार प्रपत्र में पेज न. प्रस्ताव में संलग्न कर इस कार्यालय को उपलब्ध करायें।	वन भूमि हस्तान्तरण मार्ग दर्शिका 2014 के अनुसार प्रस्ताव में संलग्न कर दिया गया है।
4	ऑनलाईन पार्ट 1 में Additional information के Sr. No. 16 में एन0पी0वी0 आगणन शीट प्रपत्र open नहीं हो रहा है।	निराकरण कर दिया गया है।
5	ऑनलाईन पार्ट 1 एवं प्रस्ताव में वृक्षों की वैज्ञानिकवार सूची संलग्न नहीं की गयी है, वृक्षों की वैज्ञानिकवार सूची, मूल्यांकन सूची वन क्षेत्राधिकारी, पश्चिमी पिण्डर रेंज नारायणबगड़ से प्राप्त करें।	प्राप्त कर संलग्न कर दिया गया है।
6	प्रस्ताव में मोटर मार्ग नाप भूमि से होकर गुजर रही है परन्तु नाप भूमि धरों की एन0ओ0सी0 संलग्न ही है तथा मक डिस्पोजल हेतु स्थल नाप भूमि में लिये गये हैं प्रस्ताव में नाप भूमि धरों की एन0ओ0सी0 अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न किये गये।	एन0ओ0सी0 संलग्न कर दी गयी है।
7	एफ0आर0ए0 प्रपत्र में जिलाधिकारी समिति की बैठक प्रपत्र में पत्रांक अंकित नहीं है।	निराकरण कर दिया गया है।

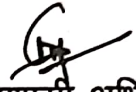
(क्रमशः-2)



(2)

8	समरेखण में प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या में बढ़ोतरी होने से प्रस्ताव में 100 वृक्षों के वृक्षारोपण प्राक्कलन के स्थान पर 200 वृक्षों के वृक्षारोपण का प्राक्कलन ऑनलाईन अपलोड करते हुए प्रस्ताव में संलग्न करें।	संलग्न।
9	समरेखण में प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या में बढ़ोतरी होने से संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट में संशोधन करें।	संशोधन कर दिया गया है।
10	प्रस्ताव में संलग्न तुलनात्मक विवरण प्रपत्र में संशोधन करें।	संशोधन कर दिया गया है।

अतः आपत्तियों का निराकरण कर प्रस्ताव 04 प्रतियों में पुनः प्रेषित है।


अधिसासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो.नि.वि.
कर्मप्रयाग

0/c